कार्यालय, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, वैशाली
न्यायालय, लोकपाल, मनरेगा
जिला– वैशाली

दिनांक	वाद संख्या–35/13–14 में पारित आदेश की प्रतिलिपि	अभ्युक्ति
29.X.13	यह वाद दैनिक समाचार पत्र " हिन्दुस्तान" के दिनांक 29 सितम्बर 2013 दिन रविवार संस्करण के वैशाली आसपास पृष्ट सं0 06 पर छपी खबर के आधार पर शिकायत दर्ज कीगयी थी। उक्त शिकायत दिनांक 01.10.2013 के आवेदन पत्र पर अंकित किया गया था। प्रकाशित की गयी खबर में निम्न आरोप लगाये गये है। वैशाली जिले में महनार प्रखण्ड की पहाड़पुर विशनपुर पंचायत में मनरेगा योजना से जारी मिट्टी भराई कार्य, ईट सोंलिंग, पौधारोपण आदि कार्यो में मुखिया एवं पंचायत रोजगार सेवक की मिली भगत से भारी अनियमितता बरती जा रही है। प्रकाशित की गयी शिकायत के संदर्भ में कार्यक्रम पदाधिकारी–सह– प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, प्रखण्ड– महनार से कारण पृच्छा की मांग की गयी। परन्तु कारण पृच्छा कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सका। दूरभाष से भी संपर्क किये जाने पर कारण पृच्छा का उत्तर प्राप्त नहीं किया जा सका। अतएव दिनांक 16.11.2013 को मेरे द्वारा प्रखण्ड में पंचायत की योजनाओं की स्थल जांच की गयी। मेरे साथ वर्तमान कार्यरत पंचायत रोजगार सेवक श्री मिथिलेश कुमार चौधरी, पूर्व पंचायत रोजगार सेवक, श्री राजीव कुमार रंजन, पंचायत तकनीकी सहायक , श्री चन्द्रशेखर आजाद तथा पंचायत के मुखिया पुत्र श्री मनोज कुमार के साथ अन्य ग्रामीण भी उपस्थित थे। मेरे द्वारा पंचायत की ताजा तरीन क्रियान्वित किये गये वर्ष 2011–12 की योजनाओं की जांच की गयी। मिट्टी भराई एवं ईटं सोंलिंग कार्य से संबंधित कुल आठ योजनाओं में योजना सं0 01/11–12, 02/11–12,03/11–12,05/11–12, 06/11–12,09/11–12, 21/11–12, तथा 28/11–12 तथा वृक्षारोपण से संबंधित कुल आठ योजनाओं में योजना सं0 15/11–12, 19/11–12 20/11–12, 28/11–12, 30/11–12, 31/11–12, 34/ 11–12 तथा 38/ 11–12 की स्थल जांच की गयी। मेरे स्थल निरिक्षण में पाया गया कि योजना सं0 5/11–12, 6/ 11–12 जो मिट्टी भराई एवं ईट सोंलिंग से संबंधित है वास्तव में इसका निर्माण किया गया था परन्तु प्राक्कलन के अनुसार दर्शायी गयी दुरी से कम निर्माण कार्य किया गया था। पंचायत रोजगार सेवक ने बताया कि प्राक्कलन के प्राक्कलित राशि के अनुसार राशि भी कम खर्च की गयी है। वृक्षारोपण की योजनाओं की जांच की गयी, कुछ योजनाएँ संतोषप्रद थी। परन्तु योजना सं0 15/11–12, 28/11–12 तथा 34/ 11–12 में जीवित पौधों की संख्या नहीं के बराबर थे तथा योजना सं0 31/11–12 में जीवित पौधों की संख्या लगभग 50 प्रतिशत थी। योजना सं0 15/11–12 में 30–40 पौधे लगे हुए थे मगर निजी जमीन मालिक श्री श्रवण सिंह द्वारा बताया गया कि उक्त पौधे मेरे द्वारा स्वयं लगाये गये है। इनमें मनरेगा द्वारा कोई वृक्ष नहीं लगाया गया है। योजना सं0 28/11–12 में जीवित पौधों की संख्या लगभग नहीं के बराबर थी। योजना सं0 34/ 11–12 में प्राक्कलन में विशुनपुर मठ के चारों तरफ वृक्षारोपण का कार्य एक यूनिट किया जाना था परन्तु स्थल पर पंचायत रोजगार सेवक ने बताया कि उक्त स्थान के	

बदले मठ के पूरब परती जमीन में पौधे लगा दिया गये गये है। वहॉ पर जीवि पौधों की संख्या 480 थी जबकि उक्त योजना में एक यूनिट अर्थात् 200 पौधे ही लगाये जाने थे और पौधो का स्थल भी मूल योजनानुसार नहीं पाये गये। इस प्रकार उक्त वृक्षारोपण उक्त योजना के अन्तर्गत हुआ है, सही प्रतीत नहीं होता है। योजना सं0 31/11–12 में जीवित पौधे की संख्या एक यूनिट की जगह मात्र 110 की संख्या में पाये गये। पंचायत रोजगार सेवक को निदेश दिया गया कि योजनाओं का अभिलेख कार्यालय में अविलम्ब प्रस्तुत करें।

दिनांक 21/11/2013 एवं 25.11.2013 को पंचायत रोजगार सेवक उपस्थित हुए। योजनाओं की अभिलेख यथा प्राक्कलन मापी पुस्तिका एवं योजना पंजी प्रस्तुत किया गया। मिट्टी भराई एवं ईटं सोंलिंग कार्यो के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अवलोकन के क्रम में पाया गया कि योजना सं0 5/11–12 में प्राक्कलन के अनुसार क्रियान्वित कार्य पर 31,100(एकतीस हजार, एक सौ) रूपये की राशि का अनियमित रूप से दुरूपयोग किया गया है, जो वसूलनीय है। योजना सं0 06/11–12 में प्राक्कलन के अनुसार क्रियान्वित कार्य पर 8310(आठ हजाार तीन सौ दस)रूपये की राशि का अनियमित रूप से दुरूपयोग किया गया है, जो वसूलनीय है। उक्त योजनाओं के अभिकर्त्ता श्री राजीव कुमार रंजन, पंचायत रोजगार सेवक, श्री चन्द्रशेखर आजाद, पंचायत तकनीकी सहायक श्री ए0 कुमार कनीय अभियंता एवं मुखिया श्रीमती रामकली देवी को निदेश दिया जाता है कि राशि को उप विकास आयुक्त, वैशाली कार्यालय में पन्द्रह दिनों के अन्दर जमा करना सुनिश्चित करेंगे। इसका अनुपालन कार्यक्रम पदाधिकारी एवं पंचायत रोजगार सेवक करेंगे।

वृक्षारोपण योजनाओं के अभिलेख का अवलोकन किया गया स्थल जांच के अनुसार योजना सं0 15/11–12, 28/ 11–12, 34/ 11–12 में पौधों की संख्या नहीं के बराबर थे तथा योजना सं0 31/11–12 में पौधे आधी संख्या में जीवित थे। इस प्रकार दुरूपयोग की गयी राशि योजना सं0 15/11–12 में 3240. रूपये योजना सं0 28/11–12 में 3940. रूपये तथा योजना सं0 34/11–12 में 14640. रूपये वसूलनीय है।

उक्त योजनाओं के अभिकर्त्ता श्री ब्रह्मानन्द पासवान , पंचायत रोजगार सेवक, श्री चन्द्रशेखर आजाद, पंचायत तकनीकी सहायक, श्री ए0कुमार कनीय अभियंता तथा मुखिया श्रीमती रामकली देवी को निदेश दिया जाता है कि राशि को उप विकास आयुक्त, वैशाली के कार्यालय में पन्द्रह दिनों के अन्दर जमा करना सुनिश्चित करेंगे तथा योजना सं0 31/11–12 में जीवित पौधों की संख्या लगभग आधी है। अतः पूर्ण क्रियान्यवन सुनिश्चित करने हेतु उचित ऊँचाई एवं उचित किस्म के पौधे एक सप्ताह क अन्दर लगवा दें। इसका अनुपालन भी कार्यक्रम पदाधिकारी एवं पंचायत रोजगार सेवक करेंगे। अनुपालन प्रतिवेदन तीन सप्ताह में प्रस्तुत करेंगे।

इन्ही निष्कर्षो के साथ वाद का निष्पादन किया जाता है।

हस्ताक्षर

21/11/13

लोकपाल, मनरेगा
वैशाली।

ज्ञापांक 2339 / मनरेगा, हाजीपुर दिनांक 29.11.13

प्रतिलिपिः मुखिया, ग्राम पंचायत पहाड़पुर विशनपुर, प्रखण्ड– महनार को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ। पंचायत रोजगार सेवक, श्री राजीव कुमार रंजन, ग्राम पंचायत– पहाड़पुर विशनपुर, प्रखण्ड– महनार को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ। पंचायत तकनीकी सहायक, श्री चन्द्रशेखर आजाद , प्रखण्ड– महनार को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ। श्री ब्रहमानन्द पासवान, तत्कालीन पंचायत रोजगार सेवक को सूचनार्थ एवं अनुपालनर्थ। श्री ए0कुमार कनीय अभियंता, प्रखण्ड–महनार को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ। कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखण्ड– महनार को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ।

29/XI/13
लोकपाल, मनरेगा
वैशाली।

ज्ञापांक 2339 / मनरेगा, हाजीपुर दिनांक 29.11.13

प्रतिलिपिः उप विकास आयुक्त, वैशाली एवं जिला पदाधिकारी–सह– जिला कार्यक्रम समन्वयक, वैशाली को सूचनार्थ।

29/XI/13
लोकपाल, मनरेगा
वैशाली।

ज्ञापांक 2339 / मनरेगा, हाजीपुर दिनांक 29.11.13

प्रतिलिपिः सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ।

29/XI/13
लोकपाल, मनरेगा
वैशाली।